



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 30 मार्च, 2016 ई०

चैत्र 10, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 102/XXXVI(3)/2016/56(1)/2016

देहरादून, 30 मार्च, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन माननीय राष्ट्रपति ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015” पर दिनांक 15 मार्च, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 01 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01 वर्ष, 2016)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिए :-

अधिनियम

भारत के गणराज्य के छियासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो-

संक्षिप्त नाम, विस्तार
और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम 2015 है।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।
- (3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें।

धारा 2 में संशोधन

2.

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,-

(क) खण्ड (14) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्:-

(14) "लिखत-लिखत' के अन्तर्गत किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज और रिट्रीवल डिवाइस या मीडिया में या उसके द्वारा सृष्ट या अनुरक्षित प्रत्येक दस्तावेज और अभिलेख भी है, जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व, सृष्ट, अन्तरित, सीमित विस्तारित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यित है,"

(ख) खण्ड (14) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

(14-क) 'दान की लिखत'-'दान की लिखत' के अन्तर्गत कोई मौखिक दान देने या स्वीकार करने के लिए कोई लिखत भी है, चाहे वह घोषणा के रूप में हो या अन्यथा हो,"

(ग) खण्ड (22) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

(22-क) "लोक अधिकारी'-'लोक अधिकारी' से सिविल प्रक्रिया

संहिता, 1908 की धारा 2 के खण्ड (17) में यथापरिभाषित लोक अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित संगठनों में से किसी के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी भी है;
अर्थात् :-

(एक) उत्तराखण्ड राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित कोई कानूनी निकाय या प्राधिकरण;

(दो) उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खण्ड (ह) में यथापरिभाषित कोई 'वित्त पोषक बैंक' या 'केन्द्रीय बैंक'।

धारा 10 में संशोधन

3.

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 10 (क) के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी;
अर्थात् :-

धारा 10 (ख) "शुल्क अदायगी के विविध माध्यम" :- धारा 10 वं 10 (क) में कुछ भी होने के बावजूद सम्पूर्ण शुल्क जो किसी विलेख पर प्रभार्य है, राजकीय कोषागार या उपकोषागार या सामान्य स्टाम्प कार्यालय [या जैसा भी मामला हो, राजकीय लेखा प्राप्ति प्रणाली G.R.A.S (Virtual Treasury)] में;

(1) नकद द्वारा, या

(2) डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, या

(3) पे आर्डर द्वारा, या

(4) ई-पेमेन्ट द्वारा

अदा किया जायेगा और ऐसी अदायगी ऐसे विलेख पर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन कर इंगित किया जायेगा।

मूल अधिनियम की धारा 29 में,-

धारा 29 में संशोधन

4.

(क) खण्ड (क) में शब्द और अंक "(क्रमांक 40-(बन्धक विलेख)", के पश्चात् शब्द और अंक "क्रमांक 43 में (टिप्पणी या ज्ञापन)" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा,
अर्थात्:-

(च-च) दान की किसी लिखत की दशा में आदाता द्वारा,"

धारा 31 में संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1), में शब्द 'ऐसी रकम की (जो पांच रुपये से अनधिक और पचास पैसे से कम न हो), फीस अदा करे, जैसा कलक्टर हर एक मामले में निर्दिष्ट करे।' के स्थान पर शब्द "ऐसी रकम जो राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियत की जाय," फीस अदा करें, रख दिये जायेंगे।

धारा 40 में संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 40 में उपधारा (1), के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढा दी जायेंगी, अर्थात् :-

- (1-क) कलक्टर यह अपेक्षा भी करेगा, कि उपधारा (1), के खण्ड (ख) के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क में कमी की रकम या शास्ति के साथ लिखत के निष्पादन के दिनांक से वास्तविक अदायगी के दिनांक तक संगणित स्टाम्प शुल्क में कमी की रकम पर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज दिया जाय;

परन्तु यह कि यदि स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम में अपील या पुनरीक्षण के तहत या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा फेरफार किया गया हो तो इस उपधारा के अधीन ब्याज की रकम की पुनः संगणना की जायेगी;

- (1-ख) उपधारा (1-क) के अधीन देय ब्याज की रकम, देय रकम में जोड़ दी जायेगी और उसे, सभी प्रयोजनों के लिए दिये जाने के लिए अपेक्षित रकम का अंश भी समझा जायेगा;

- (1-ग) जहाँ स्टाम्प शुल्क की कमी की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा स्थगित रही हो और तत्पश्चात् ऐसा स्थगन आदेश रद्द कर दिया गया हो, वहां उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट ब्याज किसी ऐसी अवधि के लिए भी देय होगा, जिसके दौरान ऐसा स्थगन आदेश प्रवृत्त रहा हो;

- (1-घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अदा की गयी या जमा की गयी या उससे वसूल की गयी या उसे प्रतिदेय किसी रकम को पहले उसके विरुद्ध बकाया स्टाम्प शुल्क की कमी

या प्राप्ति के प्रति समाप्तोक्ति किया जायेगा और तत्पश्चात् आविष्कृत हो, यदि कोई हो, उसके द्वारा देय ब्याज, यदि कोई हो, के प्रति समाप्तोक्ति किया जायेगा।"

धारा 42 में संशोधन

7.

नूतन अधिनियम की धारा 42 में:-

- (क) शीर्षक में, शब्द और अंक "धारा 35, 40 या 41" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 35, 40, 41 या 47-क" रख दिये जायेंगे।
- (ख) उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 40 या धारा 41" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 40, धारा 41 या धारा 47-क" रख दिये जायेंगे।

धारा 47-क में संशोधन

8.

नूतन अधिनियम की धारा 47-क में:-

- (क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी; अर्थात्:-

"(1) (क) यदि किसी लिखत, जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभाय्य हो, को विषयवस्तु ऐसी सम्पत्ति की उक्त लिखत में चरित्वाहित बाजार मूल्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम बाजार मूल्य से कम हो, तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी लिखत प्रस्तुत करने के ठीक पश्चात् और रजिस्ट्रीकरण के लिए उसे स्वीकार करने और उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन कोई कार्यवाही करने के पहले, धारा 29 के अधीन स्टाम्प शुल्क देने के लिए वाची व्यक्ति से उक्त नियमावली के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य के आधार पर यथासंगणित स्टाम्प शुल्क की कमी को देने की अपेक्षा करेगा और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 23 के अनुसार पुनः प्रस्तुत करने के लिए लिखत को वापस लौटा देगा;

(ख)

जब खण्ड (क) के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क की कमी को किसी लिखत के सम्बन्ध में दे दिया जाता है और लिखत को रजिस्ट्रीकरण के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाता है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस पर पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करेगा, कि उसके सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क की कमी को दे दिया गया है और

अदा करने वाले व्यक्ति के नाम और आवास को सत्यापित करके उसे रजिस्ट्रीकृत करेगा;

(ग) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, स्टाम्प शुल्क की कमी को यथाविहित घोषणा के साथ छापित स्टाम्प के रूप में खण्ड (क) के अधीन अदा किया जा सकता है;

(घ) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (क) में निर्दिष्ट आदेश को प्राप्त करने के पश्चात् स्टाम्प शुल्क की कमी की अदायगी नहीं करता है और लिखत को रजिस्ट्रीकरण के लिए पुनः प्रस्तुत करता है, तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लिखत को रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य और उस पर देय उचित शुल्क को अवधारित करने के लिए उसे कलक्टर को अभिदिष्ट करेगा।”

(ख) उपधारा (3) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा;
अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण— उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के किसी आदेश के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्टाम्प शुल्क की कमी की अदायगी कलक्टर को उपधारा (3) के अधीन किसी लिखत पर कार्यवाही प्रारम्भ करने से नहीं रोकेगी।”

(ग) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी;
अर्थात् :-

“(4-क) कलक्टर यह भी अपेक्षा करेगा कि उपधारा (4) के खण्ड (दो) के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम या शास्ति के साथ लिखत के निष्पादन के दिनांक से वास्तविक अदायगी के दिनांक तक संगणित स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम पर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज दिया जाय;

परन्तु यह कि यदि स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम में अपील या पुनरीक्षण के अधीन या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा फेरफार किया गया हो तो इस उपधारा के अधीन ब्याज के रकम की पुनः संगणना की जायगी।

(4-ख) उपधारा (4-क) के अधीन देय ब्याज की रकम देय रकम में जोड़ दी जायगी और उसे समी प्रयोजनों के लिए, दिये जाने के लिए अपेक्षित रकम का अंश भी समझा जायेगा।

(4-ग) जहां स्टाम्प शुल्क की कमी की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा स्थगित रही हो और तत्पश्चात् ऐसा स्थगन आदेश रद्द कर दिया गया हो, वहां उपधारा (4-क) में निर्दिष्ट ब्याज किसी ऐसी अवधि के लिए भी देय होगा, जिसके दौरान ऐसा स्थगन आदेश प्रवृत्त रहा हो।

(4-घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अदा की गयी या जमा की गयी या उससे वसूल की गयी या उसे प्रतिदेय किसी रकम को पहले उसके विरुद्ध बकाया स्टाम्प शुल्क की कमी या शास्ति के प्रति समायोजित किया जायेगा और तत्पश्चात् आधिक्य को, यदि कोई हो, उसके द्वारा देय ब्याज, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायेगा।”

धारा 56 में संशोधन

9.

मूल अधिनियम की धारा 56 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी;
अर्थात् :-

(1-क) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, अध्याय-चार, अध्याय-पांच के अधीन या धारा 26 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन कलक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत सरकार भी है, ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष, राजस्व परिषद् के समक्ष अपील कर सकेगा, जो पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् मामले पर विचार करेगा और उस पर ऐसा आदेश, जैसा वह न्यायसंगत और उचित समझे, पारित करेगा और इस प्रकार पारित आदेश अन्तिम होगा;

परन्तु स्टाम्प शुल्क की किसी विवादग्रस्त रकम की, जिसके अन्तर्गत उस पर ब्याज या शास्ति भी है, वसूली के रोक के लिए किसी आवेदन को तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक ऐसी विवाद-ग्रस्त रकम के एक तिहाई से अन्यून भाग की अदायगी का सन्तोषजनक प्रमाण न प्रस्तुत कर दे;

परन्तु यह और कि जहाँ अध्यक्ष, राजस्व परिषद् किसी स्टाम्प शुल्क, उस पर ब्याज या शास्ति की वसूली के स्थगन के लिए या

किसी ऐसे आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, प्रवर्तन के स्थगन के लिए कोई आदेश पारित करता हो और ऐसे आदेश के फलस्वरूप किसी स्टाम्प शुल्क उस पर ब्याज या शास्ति की वसूली स्थगित कर दी जाय, वहाँ ऐसा स्थगन आदेश तीस दिन से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक कि अपीलार्थी बकाया रकम की अदायगी के लिए सम्बन्धित कलक्टर के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूति न प्रस्तुत कर दे।”

धारा 62 में संशोधन

10.

मूल अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) में शब्द “प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा, के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्:-

प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा”।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 102/XXXVI(3)/2016/56(1)/2016

Dated Dehradun, March 30, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the President is pleased to order the publication of the following English translation of ‘**the Indian Stamp (Uttarakhand Amendment) Act, 2015**’ (Adhinyam Sankhya 01 of 2016).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the President on 15 March, 2016.

INDIAN STAMP (UTTARAKHAND AMENDMENT) ACT, 2015

(Uttarakhand Act no. 01 of 2016)

An

Act

to further amend the Indian Stamp Act, 1899 in its Applications to the State of Uttarakhand. It is hereby in acted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty Sixth Year of the Republic of India as follow:-

Short title, Extent and Commencement

1. (1) This act may be called the Indian Stamp (Uttarakhand Amendment) Act, 2015.
- (2) It extends to the whole of Uttarakhand.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may , by notification in Official Gazette, appoint in this behalf.

Amendment of Section 2

2. In section 2 of the Indian Stamp Act, 1899 (herein after referred to as the principle act):-
 - (a) For clause (14), the following clause shall be substituted ; namely:-
 - (14) **“Instrument”** Instrument includes every document and record created or maintained in or by an electronic storage and retrieval device or media by which any right or liability is, or purports to be, created, transferred, limited, extended, extinguished or recorded;
 - (b) After clause (14), the following clause shall be inserted, namely:-
 - (14-A) **“Instrument of Gift”** Instrument of gift includes an instrument whether by way of declaration or otherwise, for making or accepting an oral gift;
 - (c) After clause (22), the following clause shall be inserted namely:-

(22-A) "Public Officer" Public Officer means a Public Officer as defined in clause(17) of section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 and includes every officer working in connection with the affairs of any of the following of the organizations, namely:-

- (a) Any statutory body or authority Constituted under any Uttrakhand State Act;
- (b) A "Financing Bank" or "Central Bank" as defined in clause (L) of section 2 of the Uttarakhand Co-operative Societies Act, 2003.

**Amendment of
Section 10**

3. After section 10(A) the following section shall be inserted, namely:-

10(B) "Various modes of payment of duty"

Notwithstanding anything contained in section 10 & 10(A) all duties with which any instruments are chargeable shall be paid,-

- (1) by way of cash; or
- (2) by demand draft; or
- (3) by pay order ; or
- (4) by e-payment;

in Government Treasury or Sub-Treasury or General Stamp Office[or, as the case may be, Government Receipt Accounting System (G.R.A.S) (Virtual Treasury)] and such payment shall be indicated by endorsement on such instruments by an officer authorised by the State Government.

**Amendment of
Section 29**

4. In section 29 of the Principal Act,-

- (a) In clause (a), after the words (and figures, "No. 40 (Mortgage deed)), " the words (and figures "No. 43 (Note or memorandum)), " shall be inserted;
- (b) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely,-
"(f-f) in the case of an Instrument of Gift by the donee;"

**Amendment of
Section 31**

5. In section 31 of the Principal Act:-

in sub- section (1), for the words, "Pays a fee of such

amount not exceeding five rupees and not less than fifty paise as the collector may in Each case direct," the words, "Pays a fee such amount As may be fixed by State Government By notification in the Official Gazette", shall be substituted.

**Amendment of
Section 40**

6. In section 40 of the Principal Act :-
after sub-section (1), the following sub- sections shall be inserted, namely:-

"(1-A) The Collector shall also require, alongwith the amount of deficit Stamp Duty of penalty required to be paid under clause(b) of sub-section(1), the payment of a simple interest at the rate of one and half percent per mensem on the amount of deficit stamp duty calculated from the date of the execution of the instrument till the date of actual payment;

Provided that the amount of interest under this sub-section shall be recalculated if the amount of deficit stamp duty is varied on appeal or revision or by any order of a competent court or authority.

(1-B) The amount of interest payable under sub- section (1-A) shall be added to the amount due and be also deemed for all purposes to part of the amount required to be paid.

(1-C) Where realization of the deficit stamp duty reminded stayed by any order of any court or authority and such order of stay is sub- sequently vaated, the interest referred to in sub- section(1-A) shall be payable also for any period during which such order of stay remain in operation.

(1-D) Any amount paid or deposited by, or removed, or refundable to a person under the provisions of this Act, shall first be adjusted towards the deficit stamp duty or penalty outstanding against him and the excess, if any, shall then be adjusted towards the interest, in any, due from him."

**Amendment of
Section 42**

7. In section 42 of the Principal Act, -
(a) in the heading, of the words and figures "Sections

35, 40 or 41", the words and figures, "sections 35, 40, 41 or 47 - A" shall be substituted.

- (b) in sub-section (1), for the words and figures "section 40 or section 41", the words and figures, "section 40, section 41 or section 47- A" shall be substituted.

**Amendment of
Section 47-A**

8. In section 47-A of the Principal Act, :-

- (a) For sub-section (1), the following sub-sections shall be substituted, namely -

"(1) (a) If the market value of any property which is the subject of any instrument, on which duty is chargeable on the market value of the property as set forth in such instrument, is less than even the minimum value determined in accordance with the rules made under this Act, the registering officer appointed under the Registration Act, 1908 shall, notwithstanding anything contained in the said Act, immediately after presentation of such instrument and before accepting it for registration and taking any action under section 52 of the said Act, require the person liable to pay stamp duty under section 29, to pay the deficit stamp duty as computed on the basis of the minimum value determined in accordance with the said rules and return the instruments for presenting again in accordance with section 23 of the Registration Act, 1908;

(b) When the deficit stamp duty required to be paid under clause (a), is paid in respect of any instrument and the instrument is presented again for registration, the registering officer shall certify by endorsement thereon, that the deficit stamp duty has been paid in respect thereof and the name and the residence of the person paying them and register the same;

(c) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, the deficit stamp duty may be paid under clause (a) in the form of impressed stamps containing such declaration as may be prescribed;

(d) If any person does not make the payment of the deficit stamp duty after receiving the order referred to in clause (a) and presents the instrument again for registration, the registering officer shall, before registering the instrument, refer the same to the Collector, for determination of the market value of the property and the proper duty payable thereon.”

(b) in sub-section(3) of section 47-A the following explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation – The payment of deficit stamp duty by any person under any order of registering officer under sub-section(1) shall not prevent the Collector from initiating proceedings on any instrument under sub section (3).”

(c) after sub-section(4), the following sub-section shall be inserted namely:-

“(4-A) The Collector shall also require along with the deficit stamp duty or penalty required to be paid under clause (ii) of sub-section(4), the payment of a simple interest at the rate of one and a half per cent per mensem on the amount of deficit stamp duty calculated from the date of the execution of the instrument till the date of actual payment;

Provided that the amount of interest under this sub-Section shall be recalculated if the amount of deficit stamp duty is varied on appeal or revision or by any order of a competent court or authority.

(4-B) The amount of interest payable under sub section(4-A) shall be added to the amount due and be also deemed for all purposes to be part of the amount required to be paid.

(4-C) Where realization of the deficit stamp duty remained stayed by any order of any court or authority and such order of stay is subsequently vacated, the interest referred to in sub-section(4-A) shall be payable also for any period during which such order of stay remained in operation.

(4-D) Any amount paid or deposited by or recovered from, or refundable to, a person under the provision

of this Act, shall first be adjusted towards the deficit stamp duty or penalty outstanding against him and the excess if any, shall then be adjusted towards the interest, if any, due from him.”

**Amendment of
Section 56**

9.

In section 56 of the Principal Act, after sub-section (1) the following sub-section shall be inserted, namely:-

“(1-A) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, any person including the Government aggrieved by any order of the Collector under chapter – IV , chapter-V or under clause (a) of the first proviso to section 26 may, within 60 days from the date receipt of such order, prefer an appeal against such order to the Chairman, Board of Revenue who shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard consider the case and pass such order thereon as he thinks just and proper and the order so passed shall be final.

Provided that no application for stay of recovery of any disputed amount of stamp duty including interest thereon or penalty shall be entertained unless the applicant has furnished satisfactory proof of the payment of not less than one third of such disputed amount.

Provided further that where the Chairman, Board of Revenue passes an order for the stay of recovery of any stamp duty, interest thereon or penalty or for the stay of the operation of any order appealed against and such order results in the stay of recovery of any stamp duty, interest thereon or penalty, such stay order shall not remain in force for more than 30 days unless the appellant furnishes adequate security to the satisfaction of the Collector concern for the payment of the outstanding amount.”

**Amendment of
Section 62**

10.

In sub-section (1) of section 62 of the Principal Act for the words, 'shall for every such offence, be punishable with fine which may extend to five hundred rupees'. shall be substituted as follows, namely:-

“shall for every such offence, be punishable with fine which may extend to five thousand rupees”.

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.

उद्देश्य और कारणों का कथन

स्टाम्प शुल्क के अपवंचन को रोकने और उसकी वसूली को सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संशोधन से पूर्व वर्ष 2011 एवं वर्ष 2014 में कतिपय संशोधन प्रस्तावित किये गये थे, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन महामहिम राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रेषित किये गये थे। भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा उक्त दोनों विधेयको को वापस लेते हुये नया विधेयक बनाये जाने की अपेक्षा की गयी थी, उक्त के दृष्टिगत यह विधेयक प्रस्तावित किया जा रहा है। विधेयक में लिखत की परिभाषा स्पष्ट करके दान की लिखत, स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता सहित नियमानुसार संशोधन प्राविधानित किये जा रहे हैं-

- (क) "लिखत" की परिभाषा के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस को सम्मिलित किया जाना;
- (ख) पद "दान की लिखत" और "लोक अधिकारी" को परिभाषित किया जाना;
- (ग) "टिप्पणी या ज्ञापन" के लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता को स्पष्ट किया जाना;
- (घ) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन देय शुल्क को, अधिसूचना द्वारा नियत करने के लिये राज्य सरकार को सशक्त किया जाना;
- (ङ) हस्तान्तरण आदि के लिखत को, यदि न्यून मूल्यांकित हो, निपटाने के लिए प्रक्रिया की व्यवस्था किया जाना।

2- विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

डॉ० इन्दिरा हृदयेश,
वित्त मंत्री।